SEBI द्वारा IPO कंपनियों के लिये प्रमोटर की परिभाषा का विस्तार

स्रोत: बिज़िनेस लाइन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने **इनिशियल पब्लिक ऑफर** (Initial public offering- IPO) के लिये बाज़ार में उतरने वाली कंपनियों हेतु **प्रमोटरों की परिभाषा** का विस्तार किया है।

- नए दिशा-निर्देशों के तहत, संयुक्त 10% हिस्सेदारी वाले संस्थापक जो **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक** (Key Managerial Personnel- KMP) या निदेशक भी हैं, सभी को प्रमोटर माना जाएगा।
  - कंपनी बोर्ड में या KMP के रूप में **प्रमोटर के तत्काल संबंधी** या कंपनी में **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप** से 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले को भी प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
  - हालाँकि एक बार जब कोई व्यक्ति प्रमोटर समूह का हिस्सा बन जाता है, तो **लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स (LODR)** विनियमन के **नियम 31A के कारण उसे सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में अवर्गीकृत करना आसान नहीं होता** है।
    - वर्गीकरण-विमुक्ति का अर्थ है किसी प्रमोटर या विशिष्ट वर्गीकरण की स्थिति या लेबल को आधिकारिक रूप से हटाना।
- वर्तमान **SEBI नियमों के अनुसार,** प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो **कंपनी के मामलों को नियंत्रित करता** है या अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है या प्रस्ताव दस्तावेज़ में उसका नाम इस रूप में दर्ज होता है।
- **IPO एक इनिशियल पब्लिक ऑफर** है, जिसमें किसी **निजी कंपनी** के शेयर पहली बार जनता के लिये उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - IPO किसी कंपनी को **सार्वजनिक निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाने** की अनुमति देता है।

और पढ़ें: **प्रमोटरों को 'पर्सन इन कंट्रोल' में बदलने का प्रस्ताव: SEBI**, **सेबी**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sebi-expands-promoter-definition-for-ipo-companies